[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 59/2018- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त, 2018

सा.का.नि.....(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, उन सभी वस्तुओं को, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आती हैं और जब उनका भारत में आयात किया जा रहा हो और उनके आयात किए जाने का उद्देश्य हाल ही में केरल राज्य में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना है, निम्नलिखित से छूट देती है, यथा -

(क) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम सूची के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से; और

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत उन पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से,

बशर्ते कि :-

(i) संगत कागजातों के क्लीयरेंस के समय आयातकर्ता इस बात का प्रमाण दें कि इन वस्तुओं को हाल ही में उक्त राज्य में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्वास के लिए मुफ्त में दान स्वरूप दिया जाना है;

(ii) आयातित वस्तुओं को केन्द्र सरकार, केरल सरकार; या जैसी भी स्थिति हो, केन्द्र सरकार की राहत एजेंसियों, केरल सरकार की राहत एजेंसियों, जिनमें वे राहत एजेंसियां भी आती हैं जिनकों की केन्द्र सरकार या केरल सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के लिए विधिवत् अनुमोदित किया गया हो, को दिया जाना है; और

(iii) आयातकर्ता उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, के पास उक्त वस्तुओं के आयात की तारीख से 06 माह के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसे उक्त अधिकारी ने अनुमति दे दी हो, केरल राज्य के प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तुओं को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाने हेतु दान स्वरूप दे दिया गया है ।

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2018 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी ।

[फाइल संख्या 354/311/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार